<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>14.02.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आँचलिक कार्यालय ने 12.02.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दो व्यक्तियों चिराग शाह और चिंतन शाह को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी "फेयरप्ले" मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है। यह मामला क्रिकेट/आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था। उन्हें 13.02.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 15.02.2025 तक दोनों को ईडी की हिरासत में दे दिया।

ईडी ने मेसर्स वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोडल साइबर पुलिस, मुंबई में मेसर्स फेयरप्ले और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं, 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की हानि के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि चिराग शाह और चिंतन शाह फेयरप्ले प्लेटफॉर्म के संचालन से जुड़े हैं। वे दोनों अपनी संस्थाओं मेसर्स वोहलिग ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड, भारत और मेसर्स वोहलिग ट्रांसफॉर्मेशन एफजेडई एलएलसी, दुबई के माध्यम से फेयरप्ले को तकनीकी सेवाएं और परिचालन सहायता प्रदान करने में शामिल हैं।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 12.06.2024, 27.08.2024, 27.09.2024 और 25.10.2024 को तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न चल संपत्तियों के साथ-साथ विभिन्न अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त/फ्रीज किया गया था और ईडी ने इस मामले में 22.11.2024, 26.12.2024 और 15.01.2025 को अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए थे। इस मामले में अब तक कुल कुर्की और जब्ती की राशि **344.15 करोड़ रुपये (लगभग)** है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।